राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 03382/2024

अशोक कुमार वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिय अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
4. सयुंक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) सचिवालय, जयपुर।
5. अधीक्षक, पॉली ट्रोमा वार्ड, एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.11.2024
आदेश की दिनांक : 26.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री तनवीर अहमद, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 23.02.2024 के आदेश को चुनौती दे रहा है। (अनुलग्नक–1) उसी दिन प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल समूह, जयपुर द्वारा पदस्थापना की प्रतीक्षा का आदेश भी जारी किया गया था। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। (अनुलग्नक–3) दिनांक 12.02.2024 को अपीलार्थी की नाइट ड्यूटी पॉली ट्रॉमा वार्ड, वार्ड नंबर 113, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में थी। उस समय अपीलार्थी ने न तो मरीज सचिन शर्मा को रिसीव किया, न ही उसका सैंपल लिया और न ही अपीलकर्ता को रक्त चढ़ाया गया, लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से अपीलार्थी को शुरू में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत दिनांक 07.03.2024 को चार्जशीट भेजी गई। (अनुलग्नक–4) उपरोक्त संदर्भ में अपीलार्थी ने

प्रिंसिपल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह को दिनांक 18.07.2024 को आवेदन प्रस्तुत करके रक्त के नमूने और रक्त बैंक के संबंध में रजिस्टर मांग में उक्त सचिन शर्मा की प्रविष्टि और रक्त आधान की तारीख और चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश और नमूना लेने के लिए रक्त बैंक को भेजी गई पर्ची के बारे में अपेक्षित दस्तावेज मांगे हैं। (अनुलग्नक–5) आरोप पत्र जारी करने से पहले विभाग की छवि को बचाने के लिए अपीलार्थी को यांत्रिक एवं मनमाने तरीके से निलम्बित कर दिया गया, क्योंकि दैनिक भास्कर में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसके आधार पर बिना किसी तथ्यात्मक रिपोर्ट के कि रक्त आधान के लिए किसे तैनात किया गया था और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। अपीलार्थी को अकेले निलम्बित किया गया, जबकि 02 अन्य चिकित्सकों को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया। बहरहाल, अपीलार्थी को अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 द्वारा निलम्बित किया गया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी ने पुलिस द्वारा की गई जांच में भी सहयोग किया है, जब उसे एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन एसएमएस अस्पताल, जयपुर पूर्व द्वारा एक पत्र भेजा गया था। अपीलार्थी ने अधिकारियों से फिर से अनुरोध किया है कि इससे पहले उसने 05.04.2024 को एक आवेदन भेजा था कि उसे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वह प्रश्नों का उत्तर दे सके लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया इसलिए अपीलार्थी ने दिनांक 18.07.2024 को पंजीकृत डाक के माध्यम से फिर से एक अनुस्मारक भेजा। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी को निलंबन के बाद लगभग 09 महीने से अधिक की अवधि बीत चुकी है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अजय चौधरी के मामले में दिए गए फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर तीन महीने में निलंबन की समीक्षा की जानी चाहिए और अगर निलंबन की आवश्यकता है तो कारण बताए जाने चाहिए, अन्य दो चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित नहीं किया गया है, उन्हें शुरू में पोस्टिंग ऑर्डर की प्रतीक्षा में रखा गया था और उसके बाद से वे लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

अतः अपील अपलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–I) विभाग, जयपुर द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश संख्या पी. 16 (1) एमई/ग्रुप–1/2024 दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे।

हमने प्रत्यर्थी विभाग को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 23.02.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को अन्य दो लोकसवकों के साथ निलंबित किया गया है, के संबंध में अपील प्रस्तुत कर अपास्त किए जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा है कि निलंबन आदेश को जारी किए 3 माह से ज्यादा का समय हो गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी के प्रकरण में प्रतिबाधित सिद्वांत के आधार पर, को अपास्त किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.02.2024 द्वारा सीसीए नियम 1958 के नियम 13 की शक्तियों के तहत निलंबन किया गया है और अपीलार्थी को दिनांक 07.03.2024 को सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसके प्रकरण को गुणावगुण के निर्णय करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा गठित जांच समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने के निर्देश प्रदान किए जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता के निवेदन के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रकरण को कार्मिक विभाग द्वारा गठित जांच समिति के समक्ष समस्त तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जावे ताकि सबंधिंत कमेटी द्वारा प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर अपीलार्थी को बहाल किए जाने के संबंध में समुचित निर्णय लिया जा सके। साथ ही यह भी निर्देश दिए जाते है कि समस्त कार्यवाही 2 माह की अवधि में संपादित कि जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी के निलंबन से बहाली के प्रकरण को किसी विशिष्ट निर्णित करने हेतु निर्देश प्रदान नहीं कर रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य